

राज्य विभाग

विज्ञप्ति

(धारा २० के अधीन)

संख्या एफ ७ (७७) ना० ५०८२ दिनांक १४-३ अग १९६२
 जूनि विधायक संख्या भुक्त ३४ (१००) रवे ० ४३-१३१८८ दिनांक २-१-१९६२
 धारा नीचे लिखी हुई भूमि को उपस्थान इन अधिनियम (१९५३ या अधिनियम संख्या १३) के अधीन आरक्षित बन के रूप में
 अर्जित करने वाले का प्रस्ताव विचार गया था,

और जूनि इन भूमियों पर अधिकांश के बारे में अधिवाचना में प्रस्तुत करने की अवधि को निर्धारित की गई
 प्रतीत हो चुकी है और वनस्पति प्रस्तुत अधिवाचना में यदि ही नियम दी गई है।

और जूनि उपर्युक्त अधिवाचनाओं पर पारित आदेशों के विरुद्ध अनीत पेश करने की अवधि प्रतीत हो चुकी है और
 एव अवधि में प्रस्तुत की गई अनीत नियम दी गई है।

और जूनि प्रस्तावित बन में सम्मिलित होने वाले के विरुद्ध अनीत की गई वनस्पति भूमि यदि ही अनीतार्थ अनीत
 प्रस्ताव के अधीन वनस्पति में निहित होगी है।

अतः अब उक्त एक्ट को धारा २० द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार
 उक्त जूनि को दिनांक १-६-६२ से प्रभाव रखे हुये लागू करती है जो इस
 प्रस्ताव के अधीन है, कि निचे लिखे गये गांव अधिकारों की संतुष्टि जूनि (१) में उल्लेखित
 सीमा तक अधिकार रखे रहेंगे और संतुष्टि जूनि (२) में उल्लेखित सीमा तक, ऐसे नांगों में,
 उक्त जूनि के ऐसे नांगों में तथा ऐसे जूनि के अधीन, जो राज्य सरकार द्वारा अन्य अन्य-पर
 निर्धारित किये जावे, शिवायों का उपयोग करेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

S. D.

शासन सचिव।

भूमि का विवरण

बिदा	वर्गीकृत	पट्टी या वनस्पति	मौजा	क्षेत्रफल वनस्पति या मौजा एकड़ों में	विशेष विवरण
डंगरपुर	डंगरपुर	रत्नपुर	रत्नपुर	१७८.८८	सीमा रेखा किरण परिशिष्ट (स) संलग्न है
			धर्मालोदी	४२१.३६	
			खुरी	४४७.३८	
			फाल्जे	५३४.८०	
			हिन्गोडी	११०.६०	
			जगाबोर	६३९.९४	
			कोलापा, जा	२६९.४८	
			सैडमाच	२८८.००	
			नालाता	२०२१.०२	
			डिन्डी	६८१.००	
			शक्तिबाबा	१८९.१०	
			सुपोंग शशी IFS	५७६०.०० फुट	उप वन संरक्षक डूंगरपुर, राज.)
			जान में सचने नहीं	२४७१.६० फुट	

राज्यपाल के आदेश २६-४-६२
 के नाम १५५) के पृष्ठ १६(२)
 के अन्तर्गत ५५।

मुकाबला किया

सुपोंग शशी IFS
 ला. ११/७/६२